बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना

:: दिशा–निर्देश ::

1. भूमिकाः

विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत राज्य के सभी बसावटों में गली–नाली का पक्कीकरण करते हुए सम्पर्कता प्रदान कर सर्वांगीण विकास की राह को प्रशस्त करना है। इस लक्ष्य को सामुदायिक सहभागिता से ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित कराते हुए वर्ष 2019–20 तक प्राप्त करना है। इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत गली–नाली के पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईंट सोलिंग (Brick Soling), पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी–छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जायेंगी। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए समेकित योजना तैयार की जायेगी। योजना बनाते समय ऐसी गलियों को भी ध्यान में रखा जायेगा, जो पूर्व से पक्की हैं किन्तु जहां जल निकासी की समस्या है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाले बुनियादी अनुदान (Basic Grant) एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन (Devolution) की राशि तथा राज्य योजना मद से पंचायती राज विभाग से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होने वाली राशि से क्रियान्वित किया जायेगा।बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2017 बिहार असाधारण गजट संख्या 493 दिनांक 08.06.2017 द्वारा एवं बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 बिहार असाधारण गजट संख्या 568 दिनांक 29.06.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की निम्न संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के सिद्धान्तः

(क) राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों में सुगम आवागमन एवं स्वच्छता के लिए गलियों–नालियों का पक्कीकरण की छोटी–छोटी योजनायें वार्ड स्तर पर चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जायेगी,

(ख) ग्राम विकास एवं लोक निर्माण के अभियान में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता संवर्द्धन करते हुए योजना क्रियान्वयन हेतु नेतृत्व क्षमता का विकास,

(ग) ग्रामीण विकास की योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, प्रबंधन एवं रख–रखाव में सामुदायिक सहभागिता एवं लोक भागीदारी को सुनिश्चित कराना,

(घ) समुदाय संचालित लोक निगरानी एवं योजना क्रियान्वयन पद्धति को प्रोत्साहित करना।

लगातार.....

3. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के उद्देश्यः

(क) बारहमासी उपयोग योग्य पक्की गलियों का निर्माण करते हुए सम्पर्कता प्रदान करना,

(ख) बरसाती पानी/घरेलू गंदे पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था,

(ग) ग्रामीणों क्षेत्रों में साफ–सफाई एवं स्वस्थ माहौल तैयार कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार।

4. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयनः

योजना के तहत ग्राम पंचायत के सभी वार्डों की स्थिति का आकलन करते हुए गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं का चयन वार्ड सभा एवं ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जायेगा। यदि भौगोलिक निरंतरता के दृष्टिकोण से एक वार्ड में दूसरे वार्ड का क्षेत्र आंशिक रूप से शामिल हो रहा है, तो उसे इसी वार्ड की योजना में शामिल कर लिया जायेगा। ग्राम पंचायतों में योजनाओं के कार्यान्वयन की प्राथमिकता के निर्धारण हेतु वार्डों की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की जनसंख्या बाहुल्यता एवं तत्पश्चात वार्डों की जनसंख्या को दृष्टिपथ में रखा जायेगा। पंचायत अन्तर्गत model विकसित करने हेतु एक "खुले में शौच से मुक्त"(ODF) वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में **"वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति"** गठित की जायेगी। गली–नाली पक्कीकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं के मददेनजर तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त विभिन्न आकार/प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार कर पंचायती राज विभाग द्वारा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4.1 मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत संरचना –

4.1.1 राज्य स्तरीय संरचनाः मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने के लिए प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग के अधीन राज्य स्तर पर एक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग का गठन किया जायेगा। यह क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं के प्राक्कलनों, उनकी भौगोलिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय उपयुक्तता [applicability], तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन, क्षमता संवर्द्धन एवं सामुदायिक भागीदारी की गतिविधियों के लिए नीतियों/कार्यक्रमों को निरूपित करेगा। राज्य स्तरीय कोषांग में ग्रामीण विकास/स्वच्छता/जलापूर्ति के क्षेत्र में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों को विकास सहयोगी के रुप में शामिल किया जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग को तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर **'राज्य स्तरीय योजना अनुश्रवण इकाई'**(State level Scheme Monitoring Unit) का गठन किया जायेगा। यह इकाई योजना को मिशन मोड (Mission mode) में क्रियान्वित करने के लिए विशेष प्रयासों को संयोजित करेगी। इकाई के अंतर्गत संविदा/आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति के आधार पर IT विशेषज्ञ, अभियंता, वित्त प्रबंधक, जनसंचार विशेषज्ञ, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ तथा सामाजिक वैज्ञानिक, आदि को रखा जायेगा। केन्द्र/राज्य सरकार के अनुभवी व योग्य सेवानिवृत कर्मियों को इकाई से जोड़ कर उनकी सेवाएं ली जायेंगी। योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता की निगरानी हेतु पंचायती राज विभाग के द्वारा सूचीबद्धता पर राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (State Quality Monitors) रखे जायेंगे।

4.1.2 राज्य स्तरीय इकाई के दायित्व एवं कार्यः

(क) ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण योजना संबंधित नीतिगत मार्गदर्शन करना,

लगातार.....

(ख) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों में अन्य भागीदारों (यथा सहयोगी संस्थाएं, विशेषज्ञों/विशेषज्ञ संस्थाओं) के साथ आवश्यकतानुसार अनुबंध/समन्वय,

(ग) जिला ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण संमितियों का तकनीकी विषयों एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए उचित मार्गदर्शन,

(घ) योजनाओं के कार्यान्वयन एवं परिचालन का अनुश्रवण करना,

(ङ) ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता की जांच हेतु स्वतंत्र प्रमाणन की व्यवस्था करना,

(च) ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण संबंधी संचार तथा विकास कार्यक्रमों को समेकित और संचालित करना,

(छ) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का समन्वय,

(ज) स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार मानक प्राक्कलन तैयार करना एवं मानक प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराना।

4.2 जिला स्तरीय संरचना: जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु 'जिला ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति' गठित की जायेगी तथा उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग का स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग के स्थानीय प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता, जिला परियोजना प्रबंधक (DPM), जीविका एवं विकास साझेदारों (Development Partners) के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। यह समिति योजना को निर्धारित समयावधि में पूरा कराने के लिए प्राधिकृत समिति होगी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा–निर्देश के प्रावधानों की व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य का संपादन सुनिश्चित करेगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी इस योजना हेतु विशेष जवाबदेही व भूमिका को सुनिश्चित करेंगे और ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना को मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना में बांटते हुए सभी प्रखण्डों के लक्ष्य निर्धारण, उसकी समीक्षा, कार्य प्रगति की निगरानी, सामाजिक जागरूकता, क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों के आयोजन कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। समाज के कमजोर वर्गों के टोलों को आवागमन हेतु मार्ग की अनुपलब्धता की स्थिति में विशेष परिस्थिति में अपवाद स्वरूप केवल सम्पर्कता प्रदान करने के उद्देश्य से भू–अर्जन की व्यवस्था की जा सकती है। भू–अर्जन, सामाजिक विवाद आदि की स्थिति में यह समिति अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में एक **सहयोगी कोषांग (Support Cell)** गठित किया जायेगा, जो जिला स्तर पर संसाधन केन्द्र के रूप में योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। सहयोगी कोषांग ग्राम पंचायत को सुचारू वित्तीय प्रबंधन, कार्यों की प्रगति रिर्पोटिंग एवं तकनीकी कार्य क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने के लिए लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक (प्रति चार पंचायत पर एक की दर से) और तकनीकी सहायक (निजी तौर पर कार्य करने के इच्छुक अभियंताओं, जिनकी न्यूनतम अर्हता/qualification - डिप्लोमा धारक होगी) का पैनल तैयार करेगा तथा ग्राम पंचायतों के साथ सूची साझा करेगा। इस हेतु जिला कार्यालय द्वारा Expression of Interest प्रकाशित कर सूचीबद्ध (Empanel) करने का कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभाग स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जायेगी। ग्राम पंचायत/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति इनमें से किसी तकनीकी सहायक को गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं की रूपरेखा बनाने एवं पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

लगातार.....

सूचीबद्ध (Empanel) लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक, तकनीकी सहायक को **कार्य आधारित मानदेय (Performance based Honorarium)** पर रखा जायेगा। तकनीकी सहायकों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम दो प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के संदर्भ में 'जिला ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति' के दायित्व निम्न प्रकार होंगे:

(क) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के सिद्धांतों के बारे में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा आम नागरिकों को जागरूक करना,

(ख) समस्त हितग्राहियों की क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षण देना,

(ग) योजना के चयन हेतु प्रखंड/पंचायतवार समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना तथा अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों का वार्षिक एवं **perspective** विकास योजना तैयार कराना,

(घ) जिला स्तर पर निजी तौर पर कार्य करने के इच्छुक अभियंताओं (कम–से–कम डिप्लोमाधारी) को सूचीबद्ध करना एवं सूची ग्राम पंचायतों के साथ साझा करना,

(ङ) मानक प्राक्कलनों को ग्राम पंचायत/सहायक अभियंता तथा तकनीकी सहायकों के साथ साझा करना, तकनीकी सहायकों का क्षमता विकास,

(च) ग्रामीण कार्य विभाग एवं अन्य विभागों की संबंधित योजनाओं, यथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना, ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना आदि के साथ समन्वय/समेकन करना।

(छ) इस योजना को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा–मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस, तरल, अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) आदि के तहत उपयुक्त योजनाओं का चयन।

(ज) ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं का अनुश्रवण करना।

4.3 प्रखण्ड स्तरीय संरचना: प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन हेतु गठित 'प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई' के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन को सुनियोजित तरीके से कराने के लिए प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी की भूमिका facilitator की होगी तथा मनरेगा के सहायक/कनीय अभियंता भी इकाई को योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। योजना को क्रियान्वित कराने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्तर पर एक कार्यपालक सहायक को जोड़ा जायेगा, जो योजना संबंधित आंकड़ों, रिर्पोट, लेखा–विवरण, आदि की प्रखण्ड स्तर पर समयबद्ध रिर्पोटिंग सुनिश्चित करेगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर पर पूर्व से पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का एक पैनल बना कर उनकी आवश्यकता आधारित उपलब्धता (need based availability) बनाई रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी क्षमता संवर्द्धन, प्रचार–प्रसार एवं सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियों को क्रियान्वित कराने के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। कनीय अभियंता, लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक एवं प्रशिक्षकों को ग्राम पंचायतों के कलस्टर में लगाये जाने की जिम्मेदारी एवं उनके द्वारा किये कार्य का मूल्यांकन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संपादित किया जायेगा।

योजना की क्रियान्वयन इकाई वार्ड होगी और सामान्यतः चार ग्राम पंचायतों के समूह को आधार मानकर ग्राम पंचायतों को तकनीकी परामर्श, वित्तीय प्रबंधन एवं प्रचार–प्रसार की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

लगातार.....

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के संदर्भ में 'प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई' के दायित्व निम्न प्रकार होंगे:

(क) क्षमता सम्वर्द्धन एवं सामुदायिक सहभागिताओं की गतिविधियों का समन्वय।

(ख) वार्ड स्तरीय गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं का मानक प्राक्कलन के आधार पर ससमय तकनीकी स्वीकृति सुनिश्चित करना।

(ग) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के सिद्धांतों के बारे में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा आम नागरिकों को जागरूक करना।

(घ) ग्राम पंचायतों के समूह को आधार मानकर तकनीकी परामर्श, वित्तीय प्रबंधन, प्रचार–प्रसार की सुविधा उपलब्ध कराना।

(ङ) इस योजना को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा–मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस, तरल, अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) आदि के तहत उपयुक्त योजनाओं का चयन।

(च) ग्राम पंचायतों के समूह में कनीय अभियंता, लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक एवं प्रशिक्षकों को सम्बद्ध करना तथा इनके कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना।

4.4 ग्राम पंचायत स्तरीय संरचना: मुख्यमंत्री गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुखिया के नेतृत्व में ग्राम पंचायत योजना के क्रियान्वयन संबंधी समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगी। ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा ग्राम पंचायत के निर्णय के आलोक में योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जायेगी तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा। साथ ही, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 25(vi) के अंतर्गत गठित **लोक निर्माण समिति** अपनी विशेष भूमिका निभायेगी तथा नियमित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेगी। ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न योजना से जुड़े कर्मी यथा– पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, विकास मित्र, टोला सेवक, महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम संगठन के सदस्यों, जागरूक ग्रामीणों, आदि को भी सामुदायिक सहभागिता के लिए प्रेरक (motivator) के रूप में जोड़ा जायेगा। समुदाय के बीच सामूहिक चेतना के विकास एवं कार्य की निगरानी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना से संबंधित, ग्राम पंचायत के दायित्व निम्न प्रकार होंगे:

(क) वार्ड स्तरीय गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देना। ग्राम पंचायत के निर्णय के आलोक में मुखिया द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति तथा अन्य संबंधितों को संसूचन।

(ख) 'लोक निर्माण समिति' के माध्यम से गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति लोक निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिनियम की धारा 25 (1) (vi) के अधीन गठित लोक निर्माण समिति के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगी।

(ग) गली–नाली पक्कीकरण योजना के निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार भूमि का चयन एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु सहयोग देना,

(घ) पंचायत के सभी वार्ड तथा टोलों में संचार एवं क्षमता विकास कार्यों में भागीदारी कर वार्ड स्तरीय समितियों की सहायता करना।

लगातार.....

(ङ) इस योजना को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा–मनरेगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ठोस, तरल, अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) आदि के तहत उपयुक्त योजनाओं का चयन।

4.5 वार्ड स्तरीय संरचनाः

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) एवं बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में सात सदस्यीय 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' का गठन वार्ड सभा के माध्यम से दो वर्षों के लिए किया जायेगा, जो मुख्य रूप से लाभुकों की समिति होगी और ग्राम पंचायत के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन एवं रखरखाव/अनुरक्षण प्रदत्त दिशा–निर्देश के अनुसार करेगी। संबंधित वार्ड के पंच 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के पदेन सदस्य एवं वार्ड सभा सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे। अध्यक्ष, पदेन सचिव एवं पदेन सदस्य के अलावा, 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' में संबंधित वार्ड के निवासियों में से चार व्यक्तियों को सदस्य के रूप में वार्ड सभा द्वारा चयनित किया जायेगा। वार्ड में यदि जीविका के ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूह कार्यरत हों तो इसके एक प्रतिनिधि को भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जायेगा। अगर संबंधित वार्ड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते हैं, तो 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के सदस्यों में कम–से–कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किया जायेगा। समिति में कम–से–कम तीन महिला सदस्य होंगी एवं समिति में वार्ड सभा द्वारा एक परिवार में से एक से अधिक सदस्य चयनित नहीं किये जायेंगे। वार्ड सभा सचिव वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। अध्यक्ष अथवा पंचायती राज संस्थाओं/ग्राम कचहरी के किसी पदधारक के परिवार के सदस्य को वार्ड सभा सचिव के रुप में नहीं चुना जायेगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की सभा बुलाने, बैठकों का कार्यवृत्त लेखन एवं लेखा–जोखा रखने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव की होगी। 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' योजना की राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के खाते में रखेगी। पूर्व में 'वार्ड विकास समिति' के नाम से संधारित बैंक खातों का नामान्तरण नयी समिति के नाम के अनुरुप किया जायेगा। इस बैंक खाते का संचालन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। ऐसे सदस्य जो समिति की बैठकों में भाग/कार्यों में अभिरूचि नहीं लेंगे, उनके स्थान पर नये सदस्य का चयन उपर्युक्त वर्णित रीति से समिति के शेष अवधि के लिए किया जायेगा। दो वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर, वार्ड सभा पुनः 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के सदस्यों का चयन करेगी।

'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' की पहली बैठक इसके गठन के तुरंत बाद की जायेगी तथा प्रत्येक बैठक में समिति की अगली बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित की जायेगी। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक सामान्यतः साप्ताहिक होगी, किन्तु दो बैठकों के बीच का अंतराल दो सप्ताह से ज्यादा का नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में समिति के एक तिहाई सदस्यों की लिखित अधियाचना प्राप्त होने पर, जिसमें विचारणीय विषय के साथ–साथ बैठक हेतु तिथि की भी अधियाचना होगी, अध्यक्ष द्वारा उक्त तिथि को बैठक बुलाई जायेगी। समिति की पहली बैठक में इसके संचालन हेतु नियम/उपनियमों को विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में तैयार किया जायेगा।

वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में चार की उपस्थिति से बैठक की गणपूर्ति होगी। त्याग पत्र/मृत्यु इत्यादि की स्थिति में वार्ड सभा के द्वारा शेष अवधि के लिए रिक्ति भरी जाएगी।

4.5.1 आधारभूत संरचना एवं बेसलाईन सर्वेक्षणः मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन प्रारंभ किये जाने के पूर्व वार्षिक कार्य योजना में शामिल करने हेतु

लगातार.....

वार्डों का आधारभूत संरचना एवं बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य संपादित किया जायेगा। यह आधारभूत सरंचना एवं बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य जिला/प्रखंड स्तरीय समिति के मार्गदर्शन में वार्ड सदस्य, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक एवं ग्रामीण आवास सहायक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चिन्हित वार्ड के परिसीमन में किया जायेगा। साथ ही, संबंधित वार्ड के विकास मित्र, टोला सेवक, जागरूक ग्रामीणों, महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम संगठन के सदस्यों, आदि का सहयोग लिया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य में पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षकों का आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जायेगा। सर्वेक्षण ग्रामीण कार्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर किया जायेगा ताकि योजना की रूपरेखा ग्रामीण कार्य विभाग की प्रस्तावित योजनाओं को दृष्टिपथ में रखते हुए किया जा सके। प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई के सम्बद्ध कनीय अभियंता इस कार्य के पर्यवेक्षण में सहयोग प्रदान करेंगे।

4.5.2 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के उत्तरदायित्व एवं कार्यः

(क) वार्ड में स्थित सभी गलियों की वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यकतानुसार गली–नाली पक्कीकरण हेतु कार्य योजना की रूपरेखा चयनित तकनीकी सहायक की मदद से तैयार करना,

(ख) गली–नाली पक्कीकरण योजना के सभी चरणों में (यथा–योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन एवं रख–रखाव में) सामुदायिक भागीदारी तथा उनके द्वारा निर्णय सुनिश्चित कराना,

(ग) स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति एवं उपयुक्तता के आधार पर गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना,

(घ) तकनीकी व्यावहारिकता के आधार पर उपयुक्त योजना पर सर्वसम्मति बनाना,

(ङ) गली–नाली पक्कीकरण योजना के मद में मिली धनराशि के उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान करना एवं आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना,

(च) गली–नाली पक्कीकरण योजना संबंधी राशि का वित्तीय प्रबंधन एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त का रख–रखाव,

(छ) गली–नाली पक्कीकरण योजना का क्रियान्वयन, साफ–सफाई एवं रख–रखाव, गुणवत्ता परीक्षण तथा निगरानी,

(ज) उक्त सभी कार्यों हेतु उपलब्ध राशि का विधिवत् उपयोग एवं लेखा संधारण,

(झ) योजना के रख–रखाव, निगरानी एवं नालियों की जल निकासी व्यवस्था की देख–रेख हेतु अन्य वित्तीय स्रोतों एवं इच्छुक विशेषज्ञों की पहचान कर उक्त सभी कार्यों हेतु सहयोग प्राप्त करना,

(ञ) ग्राम पंचायत तथा प्रखंड जल स्वच्छता समिति के साथ समन्वय, तथा

(ट) संचार तथा क्षमता विकास कार्यों में भागीदारी करना।

5. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर परिचालनः

ग्राम पंचायत स्तर पर, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना परिचालन के दो मुख्य चरण होंगेः (1) वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले वार्डों का चयन एवं (2) वार्ड स्तर पर परियोजना क्रियाकलाप।

लगातार.....

5.1 वार्डों का चयन/प्राथमिकता:

वार्ड सभा से अनुमोदित योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित कर ग्राम सभा द्वारा पारित किया जायेगा तथा राशि की उपलब्धता के अनुरूप प्रथम वर्ष के लिए 20 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के लिए 30 प्रतिशत, तृतीय वर्ष के लिए 30 प्रतिशत एवं चतुर्थ वर्ष के लिए 20 प्रतिशत वार्डों को योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित किया जायेगा। वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण सर्वप्रथम वार्डों की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की संख्या बाहुल्यता के आधार पर जनसंख्या के घटते क्रमानुसार किया जायेगा। अवशेष वार्डों के चयन की प्राथमिकता का आधार वार्डों की कुल जनसंख्या के घटते क्रम को रखा जायेगा। यदि भौगोलिक रूप से एक वार्ड में दूसरे वार्ड का क्षेत्र आंशिक रूप से शामिल हो रहा है, तो उसे इसी वार्ड की योजना में शामिल कर लिया जायेगा। ODF ग्राम पंचायतों को इस योजना अन्तर्गत प्राथमिकता पर पूर्णतः आच्छादित किया जायेगा। इस निमित संबंधित ग्राम पंचायतों को राज्य योजना मद से विशेष सहायता दी जायेगा। पंचायत अन्तर्गत model विकसित करने हेतु एक "खुले में शौच से मुक्त"(ODF) वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा।

5.2 परियोजना क्रियाकलाप:

ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजनाओं की अवधि सामान्यतः 8 माह होगी। वार्ड स्तर पर परियोजना क्रियाकलाप तीन मुख्य चरणों में बांटा गया है, यथा–

- पूर्व तैयारी (अधिकतम एक माह);
- गली–नाली पक्कीकरण योजना प्रणाली की आयोजना (अधिकतम एक माह);
- योजना कार्यान्वयन (अधिकतम छह माह);

5.2.1 पूर्व तैयारी:– इस चरण की अवधि साधारणतः एक माह होगी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप पूरे किये जायेगें:–

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय वर्ष में लिये जाने वाले वार्डों पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति दी जायेगी।

(ख) वार्ड स्तरीय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का बैंक में खाता खोलना।

(ग) विभिन्न संचार माध्यमों से प्रयोक्ताओं को योजना के बारे में जानकारी देना एवं उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण, Exposure visit एवं जागरूकता {लेखा–जोखा, कार्यवृत्त एवं अन्य अभिलेख रखना, जिम्मेदारियां एवं कार्यकलाप, गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं के विभिन्न अवयवों का निर्धारण, क्रय की प्रक्रिया} कार्यक्रम।

(घ) **निर्धारित वार्डों में साधारण सर्वेक्षण:** गलियों/नालियों की स्थिति, संख्या एवं लंबाई का अनुमान।

5.2.2 गली–नाली पक्कीकरण योजना प्रणाली की आयोजना: इस चरण की अवधि साधारणतः एक माह होगी।

(क) स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति/उपयुक्तता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर गली–नाली पक्कीकरण योजना की रूपरेखा तैयार करना (गली–नाली की कुल लम्बाई, जल निरसन व्यवस्था इत्यादि),

लगातार.....

(ख) वार्ड में अगर पूर्व से पक्की गली है तो उस पर जल निरसन हेतु नाली की आवश्यकता/उपयोगिता का आकलन करना।

(ग) निर्धारित स्थान पर भूमि की उपलब्धता की व्यवस्था करना।

(घ) जल निरसन प्रणाली का रूपरेखानुसार निर्माण।

(ङ) गली–नाली पक्कीकरण योजना का प्राक्कलन तैयार करना एवं तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना,

(च) योजना के प्रारूप के अनुसार राशि की मांग तथा 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के खाते में राशि हस्तांतरण।

5.2.3 योजना कार्यान्वयन (अधिकतम छह माह):

(क) गली–नाली पक्कीकरण योजना की जरूरत के अनुरुप आवश्यक सामग्रियों/राज मिस्त्री/तकनीशियन की उपलब्धता/आपूर्ति।

(ख) गली–नाली पक्कीकरण योजना क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुरक्षण।

(ग) निर्माणाधीन संरचना की समय–समय पर गुणवत्ता की जांच एवं समीक्षा।

(घ) वित्त प्रबंधन।

(ङ) समय–समय पर प्रयोक्ताओं के साथ बैठक कर प्रगति की जानकारी देना; आय–व्यय का लेखा–जोखा।

(च) गलियों एवं नालियों की नियमित साफ–सफाई के लिए आवश्यक वित्त एवं अन्य प्रबंध करना।

5.2.4 निरंतरता:

गली–नाली पक्कीकरण योजना के चालू होने के पश्चात्, गलियों एवं नालियों की नियमित साफ–सफाई एवं प्रबंधन का दायित्व वार्ड स्तरीय वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के पास रहेगा। यह अपेक्षित है कि स्थानीय वार्ड के नागरिक मिलकर इस योजना से निरंतर सेवाएँ प्राप्त करने के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की सहायता करेंगे।

6. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन के चरण: प्रखण्ड विकास पदाधिकारी वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष के प्रथम माह के पहले सप्ताह में सभी मुखिया का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु उनका उन्मुखीकरण करेंगे। साथ ही, योजना अंतर्गत आच्छादित किये जाने वाले वार्डों का चिन्हिकरण और आधारभूत संरचना/बेसलाईन सर्वेक्षण हेतु वार्ड सभा के आयोजन की तिथि भी तय करेंगे (दिशा–निर्देश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर सभी प्रखण्डों में मुखिया का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा और उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश पर प्रशिक्षित किया जायेगा)। एक वार्ड में गली–नाली पक्कीकरण योजना की अधिकतम अवधि 8 (आठ) माह होगी और योजना का क्रियान्वयन Scheme Implementation Cycle के अनुरूप निम्नवत् किया जायेगा।

6.1 <u>कार्य पूर्व नियोजन (Pre Work Planning)</u>

i. वार्ड सभा का आयोजन कर वार्ड की आधारभूत संरचना एवं बेसलाईन सर्वेक्षण का कार्य संपादित होगा। इस दौरान वार्ड सदस्य द्वारा वार्ड का नजरी नक्शा तैयार कराया जायेगा और निर्धारित प्रपत्र में बेसलाईन सूचनाओं को अंकित किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये

लगातार.....

प्रशिक्षक का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत/वार्ड सदस्य द्वारा सर्वेक्षण कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वार्ड अन्तर्गत सभी परिवारों/टोलों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

ii. यदि भौगोलिक रूप से एक वार्ड में दूसरे वार्ड का क्षेत्र आंशिक रूप से शामिल हो रहा है, तो उसे इसी वार्ड की योजना में शामिल कर लिया जायेगा।

iii. ग्राम पंचायत में योजना के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार–प्रसार एवं सघन संपर्क अभियान चलाया जायेगा। गली–नाली पक्कीकरण के कार्य में अतिक्रमण आदि की बाधाओं को दूर करते हुए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

iv. वार्ड सदस्य द्वारा ग्राम पंचायत को सूचना देते हुए वार्ड सभा का आयोजन किया जायेगा। वार्ड सभा के दौरान मानक प्राक्कलन के अनुरूप वार्ड के गली–नाली पक्कीकरण की योजनाओं की सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जायेगी। प्राप्त योजना प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत के अनुमोदन हेतु वार्ड सभा में अनुशंसा प्राप्त की जायेगी।

v. वार्ड सभा से अनुमोदित योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित कर ग्राम सभा द्वारा पारित किया जायेगा तथा राशि की उपलब्धता के अनुरूप प्रथम वर्ष के लिए 20 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के लिए 30 प्रतिशत, तृतीय वर्ष के लिए 30 प्रतिशत एवं चतुर्थ वर्ष के लिए 20 प्रतिशत वार्डों को योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित किया जायेगा।

vi. वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण सर्वप्रथम वार्डों की अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की संख्या बाहुल्यता के आधार पर जनसंख्या के घटते क्रमानुसार किया जायेगा तथा शेष वार्डों की प्राथमिकता का निर्धारण कुल जनसंख्या के घटते क्रमानुसार किया जायेगा। पंचायत अन्तर्गत model विकसित करने हेतु एक "खुले में शौच से मुक्त" (ODF) वार्ड का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा।

vii. वर्षवार प्राथमिकता सूची को ग्राम पंचायत के अनुमोदनोपरांत जन सामान्य की जानकारी के लिए पंचायत भवन में प्रकाशित किया जायेगा।

viii. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्ड सभा में 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' का गठन किया जायेगा। समिति के अध्यक्ष वार्ड सदस्य होंगे।

ix. विभिन्न संचार माध्यमों से प्रयोक्ताओं को योजना के बारे में जानकारी दिया जायेगा एवं उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया जायेगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण, Exposure visit एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

6.2 योजना क्रियान्वयन नियोजन (Scheme Implementation Planning)

i. ग्राम पंचायत द्वारा योजना क्रियान्वयन के **अनुमोदन के तीन दिनों के अन्दर** 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' की बैठक आयोजित कर समिति का बैंक खाता खोले जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी और बैंक खाता खोले जाने की सूचना ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराई

लगातार.....

जायेगी। बैंक खाता का संचालन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के **अध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त रूप से** किया जायेगा।

ii. ग्राम पंचायत द्वारा योजना क्रियान्वयन के **अनुमोदन के पाँच दिनों के अन्दर** तकनीकी सहायक की सहायता से 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' द्वारा गली–नाली योजना का प्राक्कलन तैयार कर इसकी तकनीकी स्वीकृति 'प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई' से संबद्ध अभियंता से प्राप्त की जायेगी। 'प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई' से संबद्ध अभियंता द्वारा **पांच दिनों के अन्दर** तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन ग्राम पंचायत को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेज दिया जायेगा तथा इसकी सूचना 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' को भी दी जायेगी।

iii. ग्राम पंचायत द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप **सात दिनों के भीतर** योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी और 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' को **निर्धारित प्रपत्र में स्वीकृत्यादेश** निर्गत किया जायेगा।

iv. वार्षिक रूप से चयनित वार्डवार गली–नाली पक्कीकरण योजनाओं की विवरणी पंचायत अंतर्गत किसी प्रमुख व सार्वजनिक स्थलों पर योजना का विवरण एवं प्राक्कलन राशि दर्शाते हुए आम जन की सूचना हेतु प्रदर्शित की जायेगी। योजना प्रारंभ एवं समाप्त होने की संभावित तिथि भी अंकित की जायेगी। सूचना पट्ट पर वार्ड सदस्य एवं मुखिया का मोबाईल नम्बर अनिवार्य रुप से परिदर्शित किया जायेगा।

v. स्वीकृत्यादेश के साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा योजना में स्वीकृत कुल राशि की 60 प्रतिशत **निधि 'वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति' के बैंक खाता में अंतरित** की जायेगी और क्रय एवं वित्त प्रबंधन हेतु समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण किया जायेगा।

vi. प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राशि व्यय होने के उपरांत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा व्यय विवरणी के साथ ग्राम पंचायत से अवशेष 40 प्रतिशत योजना की राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में की जायेगी तथा ग्राम पंचायत **अधियाचना प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में अंतरित** करेगी।

vii. वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य मनरेगा अंतर्गत किये जाने योग्य कार्य के लिए इच्छुक ग्रामीणों को चिन्हित कर उनका क्षमता संवर्द्धन करेंगे और राजमिस्त्री के कार्य में उनका कौशल विकास किया जायेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी राजमिस्त्री के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस हेतु प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी संसाधन व्यक्ति (Resource Person) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

6.3 <u>योजना क्रियान्वयन (Scheme Implementation)</u>

i. विहित प्रावधानों के अनुरूप मजदूरों एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों के द्वारा गली–नाली के पक्कीकरण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

लगातार.....

ii. ग्रामीणों के बीच योजना प्रारंभ के बारे में प्रचार–प्रसार किया जायेगा। पक्कीकरण हेतु चयनित गलियों के प्रारंभ में स्वागत उत्सव आदि का भी आयोजन किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में आस–पास के घरों के परिवार एकत्र होकर योजना के क्रियान्वयन में सहयोग और बेहतर रखरखाव/अनुरक्षण का संकल्प लेंगे।

iii. कार्य की प्रगति के दस्तावेजीकरण एवं मापी हेतु कार्य स्थल पर **कार्य–पुस्तिका/मस्टर रौल** रखी जायेगी और इसे दैनिक आधार पर संधारित किया जायेगा। प्रतिदिन कार्य समाप्ति के उपरांत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव अथवा नामित सदस्य बारी–बारी से संपादित कार्य को प्रतिहस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित करेंगे।

iv. प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई के सम्बद्ध कनीय अभियंता क्रियान्वयन अवधि के दौरान वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से जुड़कर कार्य के संबंध में सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे और नियमित रूप से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

v. योजना की गुणवत्ता एवं अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–10 के तहत निगरानी समिति गठित की जायेगी और योजना का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। निगरानी समिति के सदस्य के रूप में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों को शामिल नहीं किया जायेगा।

vi. योजना के अंतर्गत होने वाले कार्य के संबंध में वार्ड सदस्य एवं वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अन्य सदस्य संपर्क अभियान चला कर ग्रामीणों को जानकारी देंगे तथा गली–नाली की साफ–सफाई बनाये रखने के लिए संकल्प दिलायेंगे।

6.4 <u>योजना अंतर्गत अनुश्रवण, निगरानी एवं प्रबंधन (Monitoring, Vigilance & Management under Scheme)</u>

i. वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा आय–व्यय के संधारण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक की सहायता ली जायेगी एवं समस्त वित्तीय लेन–देन का दस्तावेजीकरण कर संधारित किया जायेगा।

ii. संपादित कार्य का भुगतान वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक में अनुमोदित वित्तीय प्रस्ताव के आलोक में किया जायेगा। भुगतान विपत्र पर अध्यक्ष और सदस्य सचिव दोनों हस्ताक्षर करेंगे।

iii. कार्य से संलग्न मजदूरों, राजमिस्त्रियों की कार्य गणना हेतु यथा विहित एवं प्रचलित मस्टर रोल तैयार कर संधारित किये जायेंगे। इस हेतु मेट का चयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा किया जायेगा।

iv. योजना समाप्ति के उपरांत कनीय अभियंता द्वारा कृत कार्य की मापी कर मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।

v. योजना के दस्तावेजीकरण हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा प्रत्येक पृथक कार्य की कम–से–कम तीन फोटोग्राफी कराई जायेगी एवं गली–नाली की

लगातार.....

लम्बाई अधिक होने पर **प्रत्येक 50 मीटर के कार्य पर तीन फोटो जियोटैग के साथ (1. कार्य शुरू होने के पूर्व, 2. कार्य के दौरान 3. कार्य समाप्ति के उपरांत)** लिये जायेंगे और कार्य समाप्ति प्रतिवेदन के साथ संलग्न किये जायेंगे। पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत तकनीकी सहायक/ग्रामीण आवास सहायक/ विकास मित्र/चिन्हित प्रेरक इस कार्य को आवश्यकतानुसार संपादित करेंगे। इस हेतु विभाग मोबाईल आधारित रिर्पोटिंग एप्प तैयार कर विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा।

vi. वार्ड क्रियान्चयन एवं प्रबंधन समिति कार्य समाप्ति की **विधिवत सूचना उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रपत्र** में उपलब्ध करायेगी। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा वित्तीय लेन–देन का उपयोगिता प्रमाण–पत्र **निर्धारित प्रपत्र** में तैयार कर सभी विपत्रों एवं मौलिक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा।

vii. प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र को ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जायेगा और निगरानी समिति के प्रतिवेदन, कनीय अभियंता की मापी एवं मुखिया/वार्ड सदस्यों के भ्रमण/निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार कार्य को संपादित मानते हुए व्यय को अनुमोदित किया जायेगा।

viii. कार्य समाप्ति के एक माह के अन्दर ग्राम पंचायत को सूचित कर वार्ड सदस्य वार्ड सभा आहूत करेंगे और **सामाजिक अंकेक्षण** पद्धति से सम्पूर्ण कार्य का ब्योरा ग्रामीण समुदाय के बीच साझा करेंगे।

6.5 योजना प्राक्कलनः

I. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त मानक प्राक्कलन उपलब्ध कराये जायेंगे।

II. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित योजनाओं का प्राक्कलन विभिन्न आकार/प्रकार के विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त मानक प्राक्कलनों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

III. नालियों के पानी की निकासी हेतु जहां समुचित व्यवस्था संभव नहीं हो, वहां इस हेतु soak pit (सोख्ता) का प्रावधान किया जायेगा।

IV. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति 'प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई' से सम्बद्ध अभियंता एवं प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्राथमिकता सूची एवं राशि की उपलब्धता के अनुरूप दी जायेगी।

7. **वित्तीय प्रबंधन एवं राज्य योजना की राशि का संधारणः** पंचायतों को चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाली बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की कम–से–कम 40 प्रतिशत राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होनेवाली प्रतिनिधायन (Devolution) की राशि का कम–से–कम 45 प्रतिशत राशि को जोड़ने के उपरांत वार्ड हेतु स्वीकृत गली–नाली पक्कीकरण योजना को पूरा करने के लिए वांछित अवशेष राशि को राज्य

लगातार.....

योजना मद से पूरा किया जायेगा। मुख्यमंत्री निश्चय योजना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक अलग बैंक खाता एवं संबंधित योजनाओं के लिए सहायक रोकड़ बही (कैश बुक) संधारित किया जायेगा।

8. **निर्माण तकनीक एवं मॉडल प्राक्कलनः** ग्राम पंचायत के क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, यथाः मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली–नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे। इस हेतु विभाग द्वारा एक हस्त–पुस्तिका का विकास कर वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी चुनौतियों को सहज किया जा सके। मानक प्राक्कलन पर जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर विशेषज्ञों की देख–रेख में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

9. **योजना का अनुश्रवण एवं निगरानीः**

i. कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी वार्ड सभा/ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समिति के द्वारा की जायेगी। प्रखंड स्तर पर योजना का नियमित अनुश्रवण 'प्रखण्ड परियोजना अनुश्रवण इकाई' द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर योजनाओं का नियमित अनुश्रवण सुशासन कार्यक्रम के लिए गठित अनुश्रवण समिति एवं 'जिला ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति' द्वारा किया जायेगा।

ii. अनुश्रवण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मोबाईल फोन आधारित एप्प का विकास किया जायेगा, जिसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति द्वारा गली–नाली पक्कीकरण की स्थिति एवं शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। **गली–नाली पक्कीकरण के कार्य को जियोटैग** करने हेतु सूचना प्रोद्यौगिकी तकनीकों का इस्तेमाल किया जायेगा।

iii. राज्य स्तर से योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता की निगरानी हेतु सूचीबद्धता पर राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक (State Quality Monitors) रखे जायेंगे और उनसे अनुश्रवण एवं गुणवत्ता जाँच का कार्य कराया जायेगा। योजनाओं की गुणवत्ता जाँच के अलावा शिकायतों, आदि की जाँच कराये जाने में इनका उपयोग किया जायेगा। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्यान्वयन सहयोग दल गठित किया जा सकेगा।

iv. योजना के क्रियान्वयन अथवा दिशा–निर्देश से संबंधित स्पष्टीकरण, विवाद निष्पादन हेतु सामान्यतः जिला पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे। विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

10. **नालियों की सफाई, रखरखाव एवं अनुरक्षणः** गली–नाली की सफाई पर होने वाले आवर्त्ती व्यय एवं रख–रखाव मद की राशि की व्यवस्था पंचायतों में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि तथा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं यथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सम्पर्क योजना आदि योजनाओं/कार्यक्रम के

लगातार.....

साथ अभिसरण (Convergence) कर की जायेगी। इस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा वार्डवार अभिसरण योजना (Convergence Plan) तैयार की जायेगी और ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित योजना का निर्माण कर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

रखरखाव एवं अनुरक्षण का दायित्व **ग्राम पंचायत/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति** का होगा। **गली–नाली के रखरखाव हेतु सामुदायिक सहयोग राशि, अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदान/वित्तीय सहायता को प्रयोग में लाया जा सकेगा।** ग्राम पंचायतों द्वारा अनुरक्षण हेतु राशि वार्ड की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में अलग से अंतरित की जायेगी।

11. **सामाजिक सहभागिता कोषांग (Community Participation Cell) की स्थापना:** ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को लोक निर्माण की विभिन्न योजनाओं में व्यय करने हेतु नेतृत्व कौशल एवं प्रबंधन क्षमता के विकास के साथ ही सामाजिक सहभागिता के प्रभावी साधन (tool) Participatory Rural Appraisal (PRA) हेतु सहजकर्ताओं (facilitators) की आवश्यकता होगी। इस हेतु राज्य स्तर पर सामाजिक सहभागिता कोषांग की स्थापना की जायेगी। कोषांग का कार्य पंचायतों में PRA गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु सहजकर्ताओं (facilitators) की टीम तैयार करना होगा। साथ ही, यह कोषांग व्यापक सामाजिक जागरूकता हेतु IEC, Teaching/Learning Materials आदि का भी विकास करेगा।

12. विकास साझेदारों **(Development Partners) के साथ साझेदारी:** योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठनों/संस्थाओं के साथ साझेदारी की जायेगी एवं आपसी सहमति के आधार पर सामुदायिक सहभागिता, निर्माण तकनीक एवं मॉडल क्रियान्वयन हेतु उनसे सहयोग प्राप्त किया जायेगा। विकास साझेदारों (Development Partners) के बीच जिला आवंटित कर इन्हें आवंटित जिला की पंचायतों में योजना के सफल संचालन हेतु आवश्यक सहयोग करने का दायित्व सौंपा जायेगा।

13. वास्तविक क्रियान्वयन के क्रम में प्राप्त अनुभवों के आधार पर योजना के सुचारू संचालन हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर अन्य आवश्यक निदेश जारी किया जायेगा।

14. यह दिशा–निर्देश बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 156(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं यथा 26(7), 170ग आदि में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

30/6/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–06/2017/5751/पं०रा० पटना, दिनांक 30/06/2017
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/6/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

लगातार.....

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–06/2017/5752/पं०रा० पटना, दिनांक 30./06/2017
प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् अपने जिला के जिला परिषद् अध्यक्ष को एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति अपने–अपने पंचायत समिति अध्यक्ष एवं पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को इसकी प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायेंगे।

30/6/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–06/2017/5752/पं०रा० पटना, दिनांक 30./06./2017
प्रतिलिपिः मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

30/6/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 3प/मु०मं०नि०यो०–19–06/2017/5752/पं०रा० पटना, दिनांक 30./06./2017
प्रतिलिपिः आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

30/6/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव